बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

प्रस्तुत आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–1376/2015 के साथ संलग्न अन्य अवमाननावादों में दिनांक–25.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त पारित किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन अवमाननावाद में निम्नांकित आदेश पारित करते हुए अवमाननावाद का निष्पादन किया गया है :–

"......An affidavit on behalf of the petitioners has been filed today where statement has been made in paragraph nos. 6 & 7 about remaining vacancy of certain reserved category candidates which posts may be filled up on the basis of merit position in general category. This court has always said in so many words that there is a law in place and the rules shall govern such issue with regard to the non-availability of candidates from amongst the reserved category. It goes without saying that the Principal Secretary is aware of the law and will take a decision to fill up the vacancies of S.C., S.T. or other reserved category entirely in compliance with the rules applicable in the State of Bihar......"

2. विभिन्न आरक्षित कोटि के पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष बची रिक्तियों को Dereserve करने हेतु बिहार आरक्षण अधिनियम, 1992 में स्पष्ट प्रावधान है कि इन रिक्तियों को Dereserve करने के पूर्व तीन भर्ती वर्ष में आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर पद भरने का प्रयास किया जायेगा और तदोपरान्त भी उम्मीदवारों के अनुपलब्धता की स्थिति में Dereserve करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. प्रसंगाधीन मामले में जीव विज्ञान एवं गणित विषय में विघटित विद्यालय सेवा बोर्ड से वर्ष–1998 एवं 1999 में प्राप्त पैनल से नियुक्ति की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्ष–2013 एवं वर्ष–2017 में मरणशील पदों को सृजित कर विशेष परिस्थिति में विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 एवं 2017 प्रकाशित कर इस शर्त के साथ नियुक्ति की गयी थी कि नियुक्त होनेवाले शिक्षकों की सेवानिवृति, सेवाकाल में मृत्यु अथवा पदत्याग करने आदि से पद रिक्त होने पर ये पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। नियुक्ति की कार्रवाई न्यायादेश के आलोक में गणना की गयी रिक्तियों के विरूद्ध One Time नियुक्ति के तहत की गयी है।

4. अतः उक्त वर्णित स्थिति में जीव विज्ञान एवं गणित विषय के पैनल में आरक्षित कोटि के लिए उपबंधित रिक्तियों/पदों के विरूद्ध शेष बचे पदों को Dereserve करने का दावा

नियमान्तर्गत मान्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाय।

ह० /-

(आर०के० महाजन),
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : मा०शि / विधि / प्रो0 / 07 / 2000 (खंड- 3) 84 पटना, दिनांक 20/03/2018

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना एवं संबंधित आवेदकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/18

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

19-3-18